

09/04/24

पत्रावली पेंडा। चूंकि पत्रावली से संबंधित मूलवाद न्यायालय में प्राप्त नहीं हुआ है। पत्राचार के बावजूद भी मूलवाद प्राप्त नहीं हुआ है। बिना मूलवाद, प्रा. पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः *restoration* का अधिकार सुरक्षित रहते हुए प्रा. पत्र रिवरिज किया जाता है। पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।

Printed
शुभम कलकत्ता

